शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र
पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक: 161/2025/RSK भोपाल दिनांक 30-07-2025

प्रति

1. **संयुक्त संचालक**
लोक शिक्षण संचालनालय
समस्त संभाग मध्यप्रदेश

2. **जिला शिक्षा अधिकारी**
समस्त जिले मध्यप्रदेश

3. **प्राचार्य डाइट**
समस्त जिले मध्यप्रदेश

4. **जिला परियोजना समन्वयक समस्त**
जिले मध्यप्रदेश

विषय:- राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चयन परीक्षा सत्र 2025-26 के आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत उल्लेखनीय है कि सत्र 2025-26 की राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को किया जाना है। इस हेतु शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में NMMSS विज्ञापन / नियम पुस्तिका की एक-एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। आवेदन भरने की लिंक राज्य शिक्षा केन्द्र www.rskmp.in पर उपलब्ध रहेगी। संलग्न परीक्षा नियमपुस्तिका एवं निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से समय-सीमा में संपादित करें।

- परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हेतु कक्षा 7 वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण-पत्र (शपथ-पत्र)
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रतियॉ सत्यापित कर पूर्व तैयारी कर लें।

कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र की नि:शुल्क भरने की प्रक्रिया दिनांक 05.08.2025 से प्रारंभ होगी।

संलग्न:- 1. NMMSS ऑनलाईन आवेदन भरने के निर्देश।
2. विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका।

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

क्रमांक: 161/2025/RSK भोपाल दिनांक 30-07-2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

Digitally signed by
Harjinder Singh
Date: 30-07-2025
16:48:04

स्कूल शिक्षा विभाग
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (म.प्र.)
राज्य शिक्षा केन्द्र
पुस्तक भवन, बी-विंग अरेरा हिल्स भोपाल- 462011
दूरभाष : (0755) 2768390 91 92 94 95 फैक्स : 2552363 2760561

क्रमांक/NMMSS/2025/ **भोपाल दिनांक**

विज्ञापन

राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2025 (NMMSS)

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025-26 में कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 1000/- प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रूपये 12000/- के मान से कक्षा 9 वीं से 12 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 10 वी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रहने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 9 वीं से 12 वीं में पहले प्रयास यानि पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पूरक से पास विद्यार्थी NMMSS परीक्षा के लिए अपात्र रहेगा। छात्र केवल किसी एक छात्रवृत्ति योजना का ही लाभ ले सकता है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

1. **पात्रता:-** मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त / स्थानीय निकायो द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025-26 में कक्षा 8 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होने कक्षा 7 में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत छूट होगी। जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.50 लाख (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
2. **पाठ्‌यक्रम:-** इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्‌यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7 वी एवं 8 वीं की परीक्षा के समान होगा।
3. **परीक्षा शुल्क:-** परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
4. **परीक्षा का माध्यम-** परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
5. **आरक्षण:-** मध्यप्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं नि:शक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा।
6. **परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियॉ**

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	:-	05 अगस्त 2025
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	:-	20 अगस्त 2025
परीक्षा दिनांक व दिन	:-	12 अक्टूबर 2025 रविवार

परीक्षा का समय:- प्रात: 10.45 से 12: 30 तक (MAT हेतु) मानसिक योग्यता परीक्षण
दोपहर: 12.30 से 2: 15 तक (SAT हेतु) शैक्षिक योग्यता परीक्षण

परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				GENERAL/OBC	SC/ST
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40 %	32 %
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

नोट:- दोनों प्रश्नपत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी।

- मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न सादृश्य, संख्यात्मक पैटर्न पर व्याख्यात्माक वर्गीकरण श्रंखला, आकृति, अवबोधन छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होगें।
- शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से बहुविकल्पीय प्रश्न VII और VIII के शामिल होगे जिसमें 35 प्रश्न विज्ञान के 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होगें।
- छात्रों को दोनो परीक्षाओं (MAT/SAT) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन दोनो परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर न्यनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ MAT और SAT में उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत अंक होगें।

7. इस परीक्षा हेतु आवदेन ऑन लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे किसी भी प्रकार मेन्यूअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

a. जाति प्रमाण-पत्र एवं नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
b. आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।
c. आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक राज्य शिक्षा केन्द्र की बेवसाईट पर उपलब्ध है। (आवेदन पत्र आधार कार्ड के अनुसार भरा जायेगा)
d. NMMSS छात्रवृत्ति भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना है, इस छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship Portal पर पंजीयन किया जाता है एवं भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त छात्रवृत्ति National Scholarship Portal द्वारा ही जारी की जाती है जिस हेतु OTR (One Time Registration) अनिवार्य होता है।
e. यदि छात्र का अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए OTR (One Time Registration) बना है तो उस स्थ‍ि‍ति में NMMSS छात्रवृत्ति परीक्षा पंजीयन हेतु OTR (One Time Registration) अंकित किया जाना आवश्यक है।

8. पुन:परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन:- इस परीक्षा हेतु पुन: परीक्षण/पुनर्मूल्याकन का प्रावधान नहीं है।
9. यात्रा भत्ता:- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।
10. महत्वपूर्ण निर्देश:-

a. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचे।
b. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कापी सेल्युलर मोबाईल फोन केल्कुलेटर लॉग टेबल्स नकल पर्चा किसी प्रकार का इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
c. सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
d. इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं हैं।
e. उत्तरशीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
f. परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री- प्रवेश-पत्र केवल काला नीला बॉलप्वाइंट पेन (जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा)

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

Digitally signed by
Harjinder Singh
Date: 30-07-2025
16:46:55

राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल
राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा **2025-26 (NMMSS)**

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त / स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025-26 में कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

परीक्षा नियम पुस्तिका

भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रूपये 12000/- के मान से कक्षा 9 से 12 वी तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इस संबंध में यह अनिवार्य है कि कक्षा 10 वीं में 60 प्रतिशत अंक एवं कक्षा 9 वी से कक्षा 12 वी में पहले प्रयास यानि पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पूरक से पास छात्र NMMSS परीक्षा के लिए अपात्र रहेगा।

पात्रता:- मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त / स्थानीय निकायो द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025-26 मं कक्षा 8 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होने कक्षा 7 वी में कम से कम ''C" गेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3.50 लाख (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं हो।

1. **आरक्षण:-** मध्यप्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति एवं विकलांग विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेगे। नि:शक्तजन अंतर्गत सभी वर्ग के 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता के अभ्यार्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे। स्वयं के नाम का जाति प्रमाण-पत्र एवं नि:शक्तजन प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
2. **परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियॉ:-**

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	:-	05 अगस्त 2025
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	:-	25 अगस्त 2025 तक
परीक्षा दिनांक व दिन	:-	12 अक्टूबर 2025 रविवार

3. **परीक्षा का विवरण:-**

परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				GENERAL/OBC	SC/ST
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40 %	32 %
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

v. छात्रों को कक्षा 8 वीं में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।

w. मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न सादृश्य, संख्यात्मक पैटर्न पर व्याख्यात्मक वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति अवबोधन, छुपी हुई आकृतियॉ, कोडन-विकोडन, खंड

समुच्च्य, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होगें।

x. **शैक्षिक योग्यता परीक्षण-** इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।

y. छात्रों को दोनों परीक्षाओं (MAT/SAT) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंको के साथ MAT और SAT में उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत अंक होगें।

4. **पाठयक्रम:-** इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठयक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7 वी एवं 8 वी की परीक्षा के समान होगा।

5. **समय-सारणी:-**

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रश्न पत्र	परीक्षा प्रारंभ समय	उत्तरशीटस वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियां भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
12.10.2025	राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रात: 10.45 बजे से	प्रात: 10.45 बजे	प्रात: 10.45 से 10:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 10:55 बजे	प्रात: 10:55 से 11:00 बजे तक (05 मिनिट)	प्रात: 11:00 से 12:30 बजे तक (कुल डेढ घण्टा)
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 12.30 बजे से	दोपहर 12.30 बजे	दोपहर 12.30 से 12:40 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:40 बजे	दोपहर 12:40 से 12:45 बजे तक (05 मिनिट)	दोपहर 12:45 से 2:15 बजे तक (कुल डेढ घण्टा) 2:45 तक दृष्टिबाधित के लिए

6. **आवदेन की प्रक्रिया:-**

i. इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्यूअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। परीक्षा के आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य के द्वारा (दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां जैसे- कक्षा 7 वीं का प्रगित पत्रक आय प्रमाण-पत्र (शपथ पत्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित भी संधारित की जाएगी) सत्यापित कर ही ऑनलाईन भरे जायेंगे।

ii. जाति प्रमाण-पत्र एवं नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।

iii. परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्ह घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्राचार्य कार्यालय में सुरक्षित रहेगा।

iv. आय प्रमाण-पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ प्रत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।

v. राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजनांतर्गत चयन परीक्षा योजना में NSP पोर्टल पर आवेदक स्वयं के आधार से जुडे राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन कराना है। चारो वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए बैंक

खाते में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑनलाईन पंजीयन करते समय समस्त जानकारी आधार कार्ड के अनुसार हो। गत एवं वर्तमान वर्ष भारत सरकार के निर्देशानुसार छात्रों की छात्रवृत्ति DBT माध्यम द्वारा की जाती है। जिसके लिए छात्रों को आधार उनके बैंक खाते के साथ Seeded करना अनिवार्य होगा।

vi. NMMSS परीक्षा के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति बकाया राशि की दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

vii. आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।

viii. NMMSS परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 × 4.5 से.मी. का होना चाहिए जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।

ix. आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।

x. रंगीन एवं काले चश्में के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

xi. आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किये जाने चाहिए।

xii. आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

xiii. अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।

xiv. आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।

xv. आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णत: स्पष्ट होना चाहिए।

xvi. NMMSS की परीक्षा का फार्म भरते समय पूर्व में प्राप्त की जा रही छात्रवृत्ति का OTR (One Time Registration) अनिवार्य होगा जिससे चयनित छात्रों को चयन होने की स्थिति में छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने में आसानी हो।

xvii. जहा माता-पिता/कानूनी अभिभावक का आधार उपलब्ध कराया गया है वहॉ माता-पिता/कानूनी अभिभावक का e-KYC किया जायेगा। छात्र का विवरण मैन्यूअल रूप से भरना होगा और फोटो अपलोड करना होगा। छात्र को 18 वर्ष की आयु पुरी होने पर अपना आधार आधारित e-KYC पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर उसका OTR ID तब तक निलंबित रहेगा। जब तक वह अपना आधार आधारित e-KYC पूरा नहीं कर लेता।

7. **परीक्षा का माध्यम:-** परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
8. **परीक्षा शुल्क:-** इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
9. **पुन:परीक्षण/पुन: मूल्यांकन:-** इस परीक्षा हेतु परीक्षण/पुन: मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
10. **यात्रा भत्ता:-** परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।
11. **महत्वपूर्ण निर्देश:-**

a. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।

b. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

c. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोडने के पूर्व OMR उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

d. परीक्षा कक्ष में किताब या कापी सेल्युलर मोबाईल फोन केल्कुलेटर लॉग टेबल्स नकल पर्चा किसी प्रकार का इलेक्टॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।

e. परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री:- प्रवेश-पत्र केवल काला/नीला बॉलप्वाइंट पेन। जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।

f. सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होगें जिनमें से एक सही होगा।

g. इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।

h. प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोडने की अनुमति नहीं मिलेगी।

12. **परीक्षा केन्द्र:-** परीक्षा 52 जिले के ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यार्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तन/निरस्त किया जा सकता है।
13. **अनुचित साधन:-** निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा:-
    a. परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
    b. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
    c. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
    d. अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार के नकल करना।
    e. अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका की अदला-बदली करना।
    f. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा, इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है इनमें से कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
    g. नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
    h. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
    i. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
    j. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यार्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूप धारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा भी निरस्त किया जायेगा।

14. **मूल्यांकन पद्धति:-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदान किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
15. **लिखित परीक्षा में नि: शक्तजन अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाए:-**
    मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणीकरण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाऍ प्रदान की जायेगी।

16. **यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यार्थियों को प्रदान की जायेगी:-**
    a. दृष्टिबाधित, उपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रलपल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।

b. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पेस्टिक) डिसलेक्सिक और पर्सन्स विद से डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
c. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।
d. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

17. **प्रदान की जाने वाली सुविधाए:-**
उपरोक्त से संबंधित अभ्यार्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जायेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है तो उसे के अनुसार 30 मिनिट की अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।

18. **लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्ते:-**
a. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
b. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन का नाम पिता का नाम अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा संबंधित संस्था प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणीकरण अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्रा अध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

19. **इसके अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली सुविधाए:-**
a. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।
b. ऐसे परीक्षार्थी जिन्हे लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है उन्हे एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिवनी

दूरभाष 07692-220403 , 225708 फैक्स- 07692-220403

पृष्ठा.क्रमांक / 5774 / छात्रवृत्ति / 2025-26 सिवनी, दिनांक 04.08.2025

प्रतिलिपि:-
1. कलेक्टर महोदय जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग जिला-सिवनी की ओर सूचनार्थ।
4. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी /बीआरसीसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त संकुल प्राचार्य, शास.हाईस्कूल / उ.मा.वि........................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त प्रधानपाठक शास.माध्य.शाला...........................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04/8/25

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सिवनी